

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संस्था- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

**कार्यालय ज्ञाप-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा अथवा बुद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नं०-2 में डिप्लोमा इन इजीए पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से संचालित संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा तदन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा अथवा बुद्धि अथवा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अंशका	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अंशका
1	1950	जी०आइ०टी० ओषा मिलन-जाटौली मेरठ	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1982 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के पाठ्यक्रम हेतु ₹० 20,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों (प्रो. वर्षीय जाटौली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राप्ति प्राप्त हो प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनद्वारा प्रभावी होने वाले तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीर्ष निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीक्षा को नवीनतम रूप लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उ० प्राविधिक संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमनाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटी के स्थित रह जाने की स्थिति में उक्त प्रदेश परीक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

- ✓ संस्था को सामय-समय पर निर्मल शाला/वेला को अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडवार्डरी/टी/टी/टी से आगामी त्रैमासिक अनुसूचना प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ शिक्षकों का इन फार्मों पर परीक्षा के सत्रपर यदि गैर/सी/आई/आई/आई/आई से अनुसूचना प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी प्रकार का पत्र लिखा जाता है उक्त पत्र का प्रकाशक के पत्र में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सम्बन्धी आदेश निर्मित किया जाता है जो सम्बन्ध प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षकों का इन फार्मों पर परीक्षा के सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्रारम्भ होने से पूर्व पी/टी/टी/टी/टी से अनुसूचना प्राप्त कर परिषद को जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश परीक्षा की (कालनिश्चित) के माध्यम से प्रवेश संस्था द्वारा परीक्षा प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मल शाला/वेला आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, सामग्री-सम्बन्ध, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु संयुक्त, कालांतर में उपलब्ध करने के साथ, डेटिंग बोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले हेतु निर्धारण समिति के समस्त सदस्य करण, सर्वे, अतिरिक्त, भूमि-प्राप्त, कालांतर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है तो परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुसूचना की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूचनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पृष्ठ सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2262

तारीख: 15-5-2019

प्रतिदिशि-प्रधानाचार्य/निदेशक, पी/टी/टी/टी/टी कॉलेज ऑफ फार्मरी, विलेज-जटोली, मेरठ।

(राजीव कुमार सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

संलग्नक दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नए दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विदेशी/राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को संस्था, प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ को सम्बद्धता में परिषद कार्यालय में प्रेषित किया गया। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मा-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकाश रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित विदेशी इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईए द्वारा उन्हें यथास्त अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईए द्वारा प्रेषित किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम से सम्बद्ध अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों में आवेदन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	11002 विभागीय/टीएन के.के. फार्मसी, विन्नी-बदौली, मराठ	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था पीसीआईए/पीसीआईए/पीसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1962, संशोधित विनियमवर्ती-2016 तथा अन्य विहित विधान एवं अधिनियमों का अनुपालन करती तथा शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु एच 30,10,00/- प्रतिवर्ष एवं राष्ट्रीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु एच 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एच तथा दो वर्षों के पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु एच 20,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा के प्राप्त किया जाएगा। उत्तरिका के अतिरिक्त एच/आर/आर/आर से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-संधक पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले आसनादेश प्रकाशित होने, और उपर्युक्त प्राविधिक शिक्षा

*(Handwritten signature)*

आप्त आवश्यक होगा। प्रेषित निर्देशों समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु सीस का सुनिश्चय किया जाता है, तो सीस की प्राप्ति-समय बने जानू होगी।

- ✓ संस्था को (अथवा प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित तथा अनुसंधान, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रायोजित छात्रों का ही प्रवेश दिया जायेगा। सीसों के रिक्त हो जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत पाठ्यक्रमों के अनुसार विद्यार्थियों एवं सम्बद्धों शुल्क जमा कराए जायें।
- ✓ संस्था को (कॉन्सल्टेंट/वीलर/टीए/टीसी) से अगति बन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणिका/पाठ्यक्रमों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये सिस्मों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विज्ञान इन फार्मसी पाठ्यक्रम को सम्बद्ध यदि बीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त पाठ्यद्वारा संस्था का होना और विद्यार्थियों को किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी-प्रकार किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ही पाठ्यक्रमों द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था पर करनी होगी।
- ✓ विज्ञान इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व वीलर/टीए/टीसी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा जिनका उक्त प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों विद्यार्थियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुद्रिकाएँ, स्टाम्प, सात-संस्था, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का निवारण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ समय-समय को संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघालित पाठ्यक्रम को प्रस्तावित करने हेतु निर्देशक समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, मुद्रिकाएँ, फार्मिक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य में लिए कर रही है तो संघालित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आरुणो सिंग)  
सचिव

पृष्ठ- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, वीलर/टीए कॉलेज ऑफ फार्मसी, विलेज-जटौली, मेरठ।

(डा० आरुणो सिंग)  
सचिव

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**: -कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1950-V.I. T. COLLEGE OF PHARMACY, VILL- JATOLI, MEERUT			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार



कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बलाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बलाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक V.I.T. COLLEGE OF PHARMACY, VILL- JATOLI, MEERUT



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव